राजस्थान सरकार
वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0 0744-2322747

क्रमांक.–एफ( )उवसं / तक. / 2022–23 / 5785 दिनांक 4/7/023

निमित्त –

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषयः– Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt. kota Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/25462/2017)

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5615 दिनांक 13.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है–

क्र स	आक्षेप	पालना
1	पालना अपूर्ण । प्रस्ताव के साथ एफ आर ए प्रति न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है कि प्रति संलग्न करते हुए उप वन संरक्षक प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न करे।	पालना कर दी गयी है।
2	पालना अपूर्ण। क्षतिपूर्ति योजना अनुसार 1936 प्लान्टस की योजना संलग्न की गयी हैं। बकाया 3223 पौधो के डी एफ एल पर लगाये जाने की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय के एल एल फाईल, जी टी शीट, डी जी पी एस संलग नही की गयी।	गैर वन भूमि वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 515[illegible] पौधो का योजना संलग्न कर दिया गया है।
3	पालना अपूर्ण। प्रस्तावीत गैर वन भूमि पर वन सीमाये अभी भी ओपरलेप हो रही है जिसका सही कराया जाना आवश्यक है। उप वन संरक्षक इस संबंध में उप वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा सूचना प्रौद्योगि[illegible] पत्र क्रमांक 3821 दिनांक 11.05.2023 से भि[illegible] दिया गया है।
4	पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधित के एम एल फाईल संलग्न की गयी है किन्तु वन सीमा वेबसाइट पर उपलब्ध सीमा से मिलान नही है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है।
5	पालना अपूर्ण। क्रय की गई भूमि दो वन खण्डो के मध्य की भूमि है। जिला कलक्टर से आवटन दो हिस्सो में हुआ है तो मध्य की भूमि विक्रय पत्र द्वारा बाद में किस प्रकार क्रय हुई। गौशाला हेतु उनके पास उपलब्ध 2.48 है0 भूमि के अतिरिक्त अब और वन भूमि की आवश्यकता है भी या नही इसका विवरण संलग्न किया जावे। प्रस्ताव में 3.5654 है0 ओपन लेड है तो इसकी क्या आवश्यकता है, कारण स्पष्ट करे।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है।
6	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा एस आई आर किसी अन्य प्रस्ताव की अपलोड की गई है। सही एवं नवीनतम एस आई आर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है	पालना कर दी गयी है।
7	पालना अपूर्ण। प्रत्यावर्तित वन के नवीन खसरों कोई शपत–पत्र संलग्न किये जावे एवं नवीन जमाबंदी संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा

राजस्थान सरकार
वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0-0744-2322747

क्रमांक:-एफ( )उवसं/तक/ 2022-23/ 5785 दिनांक: 4/7/2023
निमित्त-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय:- Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt, kota Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/25462/2017)

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर के पत्रांक 5615 दिनांक 13.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है-

क्र स	आक्षेप	पालना
1	पालना अपूर्ण । प्रस्ताव के साथ एफ आर ए प्रति न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है कि प्रति संलग्न करते हुए उप वन संरक्षक प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न करे।	पालना कर दी गयी है।
2	पालना अपूर्ण। क्षतिपूर्ति योजना अनुसार 1936 प्लान्टस की योजना संलग्न की गयी हैं। बकाया 3223 पौधो के डी एफ एल पर लगाये जाने की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय के एल एल फाईल, जी टी शीट, डी जी पी एस संलग नही की गयी।	गैर वन भूमि वृक्षारोपण योजना अन्तर्गत 515 पौधो का योजना संलग्न कर दिया गया है।
3	पालना अपूर्ण। प्रस्तावीत गैर वन भूमि पर वन सीमाये अभी भी ओपरलैप हो रही है जिसका सही कराया जाना आवश्यक है। उप वन संरक्षक इस संबंध में उप वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा सूचना प्रौद्योगिक पत्र क्रमांक 3821 दिनांक 11.05.2023 से भि दिया गया है।
4	पालना अपूर्ण। यूजर ऐजेन्सी द्वारा संशोधित के एम एल फाईल संलग्न की गयी है किन्तु वन सीमा वेबसाइट पर उपलब्ध सीमा से मिलान नही है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है
5	पालना अपूर्ण। क्रय की गई भूमि दो वन खण्डो के मध्य की भूमि है। जिला कलक्टर से आवटन दों हिस्सो में हुआ है तो मध्य की भूमि विक्रय पत्र द्वारा बाद में किस प्रकार क्रय हुई। गौशाला हेतु उनके पास उपलब्ध 2.48 है0 भूमि के अतिरिक्त अब और वन भूमि की आवश्यकता है भी या नही इसका विवरण संलग्न किया जावे। प्रस्ताव में 3.5654 है0 ओपन लेड है तो इसकी क्या आवश्यकता है, कारण स्पष्ट करे।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी है
6	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा एस आई आर किसी अन्य प्रस्ताव की अपलोड की गई है। सही एवं नवीनतम एस आई आर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है	पालना कर दी गयी है।
7	पालना अपूर्ण। प्रत्यावर्तित वन के नवीन खसरों कोई शपत-पत्र संलग्न किये जावे एवं नवीन जमाबदी संलग्न की जावे।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पालना कर दी गयी

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा

उपवन संरक्षक कोटा की प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी

Name of Project :- Permission for Running of existing gaushala in forest land, Lakhawa distt. kota (Rajasthan)

उक्त प्रस्ताव में Permission for Running of existing gaushala in forest land, Lakhawa distt. kota (Rajasthan) प्राप्त हुआ। कार्य स्थल का निरिक्षण करने दिनांक 18/8/22 को करने एवं रिकार्ड की जॉच करने पर निम्नानुसार तथ्य है –

1– राज्य सरकार की स्वीकृति कमांक-- 42(187)राज0/03/03/ दिनांक– 21.07.2004 तहसीलदार लाडपुरा पशुपालन विभाग एवं ग्राम पंचायत की अनापति के आधार पर जिला कलेक्टर कोटा के आदेश दिनांक प. 2(6)(1)राजस्व/1/02/9073–77 दिनांक– 5.11.2004 से ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा के खसरा नं0 317 रकबा 0.92 है0, 318 रकबा 1.83 है0, 308/490 रकबा 0.14 है0, 309/491 रकबा 0.31 है0, 319 रकबा 1.49 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 4.69 है0 भूमि को गैर वन भूमि मानते हुऐ संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को राजस्थान भू राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 195 एवं संशोधित नियम 2001 के अनतर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज रेंट पर आवंटित की गई । उक्तानुसार उक्त वन भूमि वर्ष 2004 से ही प्रयोक्ता अभिकरण के कब्जे में है एवं गौशाला का संचालन कर रहे है ।

2– जिला कलेक्टर, कोटा ने उनके आदेश क्रमांक प.2(6) (1) राजस्व /1 /02/1669–74 दिनांक– 10.06.2015 के अनुसरण में पूर्व आदेश कमांक प. 2(6)(1)राजस्व/1/02/9073–77 दिनांक– 5.11.2004 से संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा तह0 लाडपुरा जिला कोटा (गौशालाओ को भूमि आवंटन) के आवंटन को निरस्त किया गया । तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया गया कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम खसरा नं0 317 रकबा 0.92 है0, 318 रकबा 1.83 है0, 308/490 रकबा 0.14 है0, 309/491 रकबा 0.31 है0, 319 रकबा 1.49 है0 कुल 5 किता कुल रकबा 4.69 है0 अमल दरामद करे ।

3– एस.बी.सि.रि.प. संख्या 19970/2013 में माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के निर्णय दिनांक-- 29.11.2013 के आदेशानुसार उक्त भूमि को वन

भूमि मानते हुऐ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण प्रेषित करे । जिसके अनुसारण में गौशाला से सम्बन्धित प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार संत आशाराम जी आश्रम समिति लखावा को एफ.सी.ए. 1980 के तहत 4.69 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने हेतु संत श्री आशाराम गौशाला समिति लखावा, झालावाड रोड, कोटा में प्रस्ताव तेयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ने प्रपोजल नं0 एफपी/आरजे/अदर्श/25462/2017 में दर्ज करवाया गया ।

4– राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम खसरा नं0 317 रकबा 0.92 है0, 318 रकबा 1.83 है0, 308/490 रकबा 0.14 है0, 309/491 रकबा 0.31 है0, 319 रकबा 1.49 है0 वन विभाग नामा नं0 501 नामा सं0 501–नि.दि. 16/05/2018 न्यायालय आदेश (नामा.यूनिक सं0 2601–12880) कर दिया गया है ।

5– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नियमानुसार 4.69 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले समतुल्य गैर वन भूमि क्रमशः तहसील पीपल्दा, ग्राम खेडली नोनेरा, खसरा नं0 40 रकबा 0.74, ख.नं. 42 रकबा 1.01, खं.नं. 173 रकबा 1.78, ख. नं. 174 रकबा 0.60, ख.नं. 10 रकबा 0.56 है0 प्रस्तावित की गई है ।

6– संत श्री आशाराम गौशाला समिति लखावा के एफ.सी.ए. 1980 के तहत 4. 69 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (निजि भूमि) नियमानुसार प्रस्तावित की है जो इस प्रकार है –

ग्राम खेडली नोनेरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

क.सं.	कृषक का नाम	खसरा नं.	रकबा है0
1	नीलम मेघवाल पुत्री भोजराज,	173	1.78
	शकुन्तला मेहरा पत्नी चन्द्रशेखर	174	0.60
		42	1.01
2	जगन्नाथ मेघवाल पुत्र रामकिशन	40	0.74
		10	0.56
	(ख.नं. 10 रकबा 0.71 मे से केवल 0.56 है0 क्षैत्र लिया गया है।)		
	योग	5	4.69 है0

7— एस.बी.सिविल अवमानना याचिका संख्या 1170/2016 इन एस.बी.रि.पि.सं. 19970/2017 संत श्री आशाराम गौशाला समिति बनाम श्री ओ.पी. मीना व अन्य के निर्णय अनुसार सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक एफ 10(637)विधि/संमुवस/2017—18/8223 दिनांक 07.11.2017 के निर्देशानुसार वन भूमि प्रत्यावर्तन 4.69 है0 समतुल्य गैर वन भूमि तहसील पीपल्दा, ग्राम खेडली नोनेरा, खसरा नं. 40 रकबा 0.74, ख.नं. 42 रकबा 1.01, ख.नं. 173 रकबा 1.78, ख.नं. 174 रकबा 0.60, ख.नं. 10 रकबा 0.56 है0 प्रस्तावित की गई है । गैर वन भूमि वन विभाग के लिये प्रबंधकीय एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है ।

8— प्रस्तावित वनभूमि 4.69 है0 में प्रयोक्ता अभिकरण ने पूर्व से ही वर्ष 2004 से वनभूमि में गौशाला, मंदिर, इमारत, सडक और खुला क्षेत्र बनाया हुआ है ।

9— प्रस्तावित वनभूमि 4.69 है0 में प्रयोक्ता अभिकरण ने पूर्व से ही वर्ष 2004 से वन भूमि में कुल 228 पेड लगाये हुऐ है जो पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त है ।

10— प्रस्तावित वन भूमि में स्थापित गौशाला राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधि0 1958, राजस्थान गौशाला अधि0 1960 एवं भारतीय जीव—जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पंजीकृत है ।

11— गौशाला को राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निदेश नियम 2016 के अन्तर्गत वर्ष 2016 से पशु आहार/चारा/पानी हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है । यह सहायता राशि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा वर्ष में 2 बार आकस्मिक निरीक्षण/भैतिक सत्यापन कर पात्र गौशालाओं में संधारित वास्तविक गौवंश के आधार पर 2 किश्तो में दिया जाता है । अब तक गौशाला को वर्ष 2016—17 में 556 गौवंश पर, वर्ष 2017—18 में 553 गौवंश पर, वर्ष 2018—19 में 618 गौवंश पर, वर्ष 2019—20 में 548 गौवंश पर, वर्ष 2020—21 में 574 गौवंश पर, वर्ष 2021—22 में 509 गौवंश पर तथा वर्ष 2022—23 में 514 गौवंश पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

12— गौशाला में प्रत्येक गाय का विस्तृत विवरण टैग नम्बर अनुसार गौवंश संधारण रजिस्टर के निर्धारित प्रपत्र 5 में किया जाता है । दिनांक— 26.02.

2022 तक 1039 गायों को टेग जारी किये जा चुके है , जो नोडल अधिकारी प्रभारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय विज्ञान नगर कोटा से प्रमाणित है । रजिस्टर में मृत गायों, विकय की गई गायों तथा स्थानान्तरित की गई गायों का विवरण भी संधारित किया जा रहा है ।

13– गौशाला को समय–समय पर जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी गौशाला/कायन हाउस में नगर निगम द्वारा निरूद्ध गौवंश को भी स्थानान्तरित किया जाता है । इस प्रकार यह गौशाला लोकल प्रशासन में भी अपनी सहभागिता निभा रही है ।

14– गौशाला में नस्ल संरक्षण कार्य, गौवंश की आयु, लिंगानुसार वर्गीकृत बाडो की व्यवस्था, निराश्रित गौवंश को गौशाला में आश्रय, वध से बचाये गौवंश को आश्रय दिया जा रहा है । दुर्घटना ग्रस्त गौवंश को पृथक–पृथक बाडो में संधारण, नकारा गौवंश का बधिया करण, दुधारू गौवंश का पृथक–पृथक बाडो में संधारण, दुध का मूल्य संवर्धन कर उत्पाद निर्माण व उसका विकय किया जा रहा है । इस प्रकार एक अच्छी गौशाला का संचालन गौशाला समिति द्वारा किया जा रहा है ।

15– प्रस्तावित वन भूमि के मध्य जो कय की गई 2.48 है0 भूमि है वह निजि व्यक्ति की भूमि है । इससे गौशाला समिति का कोई लेना–देना नही है । गौशाला के पास जो वन भूमि (4.69 है0) है वह वर्तमान गौवंश संख्या 514 के लिए भी (राजस्थान भू राजस्व गौशाला को भूमि आवटन नियम 1957 के नियिम 7 के अनुसार) अपर्याप्त है तथा गौशाला द्वारा 26.02.2022 यतक 1039 गौवंश को टैग जारी किये (गौवंश संधारण रजिस्टर के प्रपत्र के अनुसार) जा चुके है ।

अतः भविष्य में यदि गोशाला 1000 गायों व आश्रय देती है तो 11.00 है0 भूमि की आवश्यकता होगी । अतः 4.69 है0 वन भूमि की प्रत्यावर्तन अनुशंसा उचित है ।

(जयराम पाण्डेय)
उपवन संरक्षक
कोटा